न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

J.O.Code–UP 2735

UPBH010039342026

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या–416/12/2026

मंजू देवी–––––बनाम –––– बाबूराम मौर्या आदि।

अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना–रामगांव, जनपद बहराइच।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० का निस्तारण

21.07.2026

1– पत्रावली आदेश हेतु नियत है। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना जा चुका है।

2– प्रार्थिनी मंजू देवी द्वारा प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 173(4)बी०एन०एस० एस० मय शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने की याचना की गयी है।

3– संक्षेप में प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र अ–3 में कथन है कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति चमार की महिला है। विपक्षीगण प्रार्थिनी पर काफी दिनो से बुरी नजर रखे हुये थे। दिनांक 29–04–2026 को समय करीब दोपहर 12 बजे प्रार्थिनी अपने घर से रामगांव जा रही थी तभी सुन सान रास्ते में तालाब के पास जहाँ गुल्लर का पेड़ लगा हुआ है वहीं पर उपरोक्त विपक्षीगण एकराय होकर प्रार्थिनी को अपने पास बुलाये जिसपर प्रार्थिनी उनके पास चली गयी तभी उपरोक्त विपक्षीगण प्रार्थिनी के साथ अश्लील हरकते करने लगे तथा उपरोक्त विपक्षीगण प्रार्थिनी को जबरदस्ती करके तालाब के किनारे उठा ले गये और मुंह में गमछा ठूसकर प्राथिनी के साथ बलात्कार किया। प्रार्थिनी किसी प्रकार मुँह से गमछा निकालने में सफल हो गयी तथा जोर जोर से चिल्लाने लगी प्रार्थिनी की चीख पर उपरोक्त विपक्षीगण देखकर प्रार्थिनी को धमकी देते हुये कहने लगे कि चमारिन साली अगर तुमने कोई कार्यवाही किया तो पुनः बेइज्ज़ती करके तुझे जान से मार देगे मेरा तुम कुछ नही कर पाओगी। प्रार्थिनी किसी तरह संभालते हुये अपने घर आयी और थाना हाजा में दिनांक 29–4–2026 को लिखित तहरीर दिया परन्तु थाना हाजा की पुलिस ने विपक्षीगण के विरूद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज नही किया बल्कि कार्यवाही का आश्वासन देकर प्रार्थिनी को वापस कर दिया प्रार्थिनी ने काफी इन्तजार करने के पश्चात वास्ते दर्ज कराये जाने प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 1–5–2026 को जरिये डाक पुलिस अधीक्षक, बहराइच को प्रार्थनापत्र दिया लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

4– प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक बहराइच को दिये गये प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति एवं

रजिस्ट्री रसीद दाखिल किया गया है।

5– थाने से आख्या आहूत किया गया। थाना की आख्यानुसार प्रकरण के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

6– मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7– आवेदिका द्वारा प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना के जरिए किसी साक्ष्य को एकत्र किये जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदिका विपक्षीगण को भली–भांति जानती व पहचानती है एवं समस्त तथ्य आवेदिका के संज्ञान में है। ऐसी स्थिति में ***माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद*** द्वारा पारित विधि व्यवस्था ***सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2007 (59) ए०सी०सी० 739*** के आलोक में प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित न करवाकर मामले को परिवाद के रूप में सुनवाई किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान आवेदिका अन्तर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नियत की जाती है। वास्ते बयान आवेदिका दिनांक 01.09.2026 को पेश हो।

(पवन कुमार शर्मा–II)

विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट)

दिनांकः 21.07.2026 बहराइच।